Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आर.टी.ओ.) का सूचना सहायक एक हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **मौके पर एक गार्ड एवं दो दलाल 3 लाख 15 हजार रुपये सहित पकड़े**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलवर प्रथम इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये तरूणेश कुमार सूचना सहायक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जिला अलवर को परिवादी से 1 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके पर कार्यवाही के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड तथा दो दलाल पकड़े गये जिनके पास कुल 3 लाख 15 हजार 680 रुपये बरामद किये गये।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके ड्राईविंग लाईसेंस का डुप्लीकेट बनवाने की एवज में तरूणेश कुमार सूचना सहायक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जिला अलवर द्वारा 2500 रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अलवर प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री प्रेमचंद** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये तरूणेश कुमार पुत्र श्री कमलाकर वर्मा निवासी मरेटिया बास, पुलिस थाना कोतवाली, जिला अलवर हाल सूचना सहायक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जिला अलवर को परिवादी से 1 **हजार रुपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी की सूचना सहायक की तलाशी में 3 लाख 3 हजार रुपये नगद भी बरामद किये गये है।

ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी सूचना सहायक के पास उसके कक्ष में मौजूद तीन लोग तुंरत भागने की कोशिश करने लगे। जिसपर ए.सी.बी. टीम द्वारा उन्हें निरूद्ध कर तलाशी ली गई तो एक हरीश चंद शर्मा सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा बनवारी लाल ई–मित्र संचालक तथा तीसरा श्याम लाल गुप्ता वाहनों की नंबर प्लेट बनाने वाला निकला। उक्त तीनों की तलाशी में क्रमशः 1,31,500/–रू0, 1,52,350/–रू0 व 31,830/–रुपये कुल नगद 3,15,680/–रुपये बरामद किये गये। जिसका उक्त तीनों कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दे पाये। जिस पर 1–हरीशचंद पुत्र श्री बिहारीलाल निवासी अलवर हाल सिक्योरिटी गार्ड कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, अलवर 2–बनवारी लाल पुत्र श्री भोंदूलाल निवासी अवलर हाल ई–मित्र संचालक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर 3–श्यामलाल गुप्ता पुत्र श्री नारायण लाल निवासी अलवर हाल वाहन नंबर प्लेट बनाने का कार्य कार्यालय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।